# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
## पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 181/2022

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 खीवसिंह दतक पुत्र भैराराम जाति मेवाडा (कलाल) नि0 चण्डावल नगर तह0 सोजत, पाली राज0। | 1. | तहसीलदार(भूमिधारक) सोजत जिला पाली राजस्थान |

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956**

**उपस्थितिः—**

01. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 19/12/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चण्डावल नगर प0ह0 चण्डावल, तह0 सोजत में स्थित खाता नंबर 167 के ख0न0 2120 रकबा 2.5000 है0, ख0न0 2123 रकबा 1.000 है0 ख0न0 2126 रकबा 0.0600 है0 ख0न0 2127 रकबा 0.5800 है0 कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.1400 है0 की कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में ख0न0 2127 रकबा 0.5800 है0 किस्म जा0दो0 की भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी किये जाकर जरिए मुटाम लगाये जाने की ईश्तदुआ की है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है, जिस भूमि पर प्रार्थी का ही एकमात्र खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा अड़चन के शांतिपूर्वक चला आया है। मौके पर भी प्रार्थी ही काबिज़ काश्त है। लेकिन प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर अनावश्यक अजनबी अतिक्रमी व्यक्ति हर समय कब्जा करने पर उतारू रहता है इसलिए प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध में अपनी उपरोक्त भूमि का सीमांकन करने हेतु दिनांक 18.05.2022 को तहसीलदार, सोजत के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन मौके पर अजनबी व्यक्तियों द्वारा विवाद के कारण सीमांकन नहीं किया जा सका। अतः प्रा0 पत्र पेश कर सरहद मौजा चण्डावल के खसरा नंबर 2127 रकबा 0.5800 है0 किस्म जा0दो0 की भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज खास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जबाब प्रा0 पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 सरहद मौजा चंण्डावल में स्थित है। पैरा संख्या 2 वादी स्वयं सिद्व करने व पैरा संख्या 3 व 4 को कानूनी होना बताया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थित भूमि के मौके पर प्रार्थी ही काबिज काश्त है। लेकिन प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर अनावश्यक अजनबी अतिक्रमी व्यक्ति हर समय कब्जा करने पर उतारू रहता है इसलिए प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध में अपनी उपरोक्त भूमि का सीमांकन करने हेतु दिनांक 18.05.2022 को तहसीलदार, सोजत के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन मौके पर अजनबी व्यक्तियों द्वारा विवाद के कारण सीमांकन नहीं किया जा सका। जिससे सरहद मौजा सरहद मौजा चण्डावल के खसरा नंबर 2127 रकबा 0.5800 है0 किस्म जा0दो0 की कृषि भूमि का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर

सम्प्रमाणित फाटो प्रतिलिपि

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

नापचौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जाने तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है। बहस के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने व्यक्त किया कि प्रार्थित भूमि का यदि सीमांकन किया जाकर जरिए पत्थरगढी मुटाम कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाने तो कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा चण्डावल के खसरा नंबर 2127 रकबा 0.5800 है0 किस्म जा0दो0 की कृषि भूमि का प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त की भूमि स्थित का सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

## —: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा चण्डावल के खसरा नंबर 2127 रकबा 0.5800 है0 किस्म जा0दो0 की कृषि भूमि का हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक चण्डावल, भू0अ0निरीक्षक अटबडा, पटवारी चण्डावल, पटवारी गुडारामसिंह, संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। यदि मौके पर विवाद होतो पुलिस इम्दाद हेतु पृथक से कार्यवाही की जावे। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की पालना 15 दिवस में करते हुये पालना न्यायालय में पेश करे। पत्रावली फैसल शुम्मार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक ...19/12/22..... को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

प्रमाण फोटो प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
सोजत (राज.)